अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, गुजरात 360110
All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, Gujarat 360110
A Central Autonomous Body under PMSSY, MoH&FW
Government of India www.aiimsrajkot.edu.in

एम्स/राजकोट/हिंदी/प्रशा./2024-25/ दिनांक: 07/01/2025

परिपत्र 01/2025

विषयः संस्थान में हिंदी के तिमाही प्रगति रिपोर्ट जमा करने के संबंध में

तिमाही रिपोर्ट दिनांकः 01.07.2024 से 30. 09. 2024 एवं 01. 10. 2024 से 31. 12. 2024

कार्यालय आदेश दिनांक 06.07.2024 के संबंध में संस्थान के प्रत्येक विभाग/अनुभाग/विंग/सेल द्वारा समय पर हिंदी तिमाही रिपोर्ट हिंदी सेल को समय पर भेजना अपेक्षित था, परन्तु ऐसा देखा गया है कि तिमाही रिपोर्ट समय पर हिंदी सेल को प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसके कारण समेकित हिंदी तिमाही रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने में विलंब हो रही है।

एम्स राजकोट संस्थान में विभिन्न विभाग/अनुभाग/सेल/विंग के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी दिनांक **01.07.2024 से 30. 09. 2024 एवं 01. 10. 2024 से 31. 12. 2024** तक की अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1) दिनांक 08 जनवरी, 2025 तक हिंदी सेल में भेजनी अपेक्षित हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी सभी प्रकार से सही, संगत और पूरी है।

अंतः अनुरोध है कि आपके विभाग/अनुभाग/सेल/विंग से संबंधित उपर्युक्त अवधि की हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1) संलग्न प्रपत्र में भरकर हिंदी अनुभाग को दिनांक 08 जनवरी, 2025 तक अवश्य प्रेषित कर दी जाए ताकि यह रिपोर्ट समेकित करके निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात समय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित की जा सके।

इस रिपोर्ट में यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी सभी प्रकार से सही, संगत और पूरी है।

इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्न – तिमाही प्रारुप

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES RAJKOT, GUJARAT, 360110

(डॉ. कुलदीप जी बी)
स्थानापन्न उप निदेशक (प्रशासन)
कार्यवाहक उप निदेशक (प्रसा.)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - ३६० ००१, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001. Gujarat.

वितरणः

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
2. सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण/संकाय सदस्यगण, एम्स राजकोट,
3. प्रशासनिक अधिकारी, एम्स राजकोट
4. लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
5. उप चिकित्सा अधीक्षक, एम्स राजकोट

प्रतिलिपि,

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
2. सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण/संकाय सदस्यगण, एम्स राजकोट,
3. प्रशासनिक अधिकारी, एम्स राजकोट
4. लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
5. उप चिकित्सा अधीक्षक, एम्स राजकोट
6. प्रभारी आईटी सेल, एम्स राजकोट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

स्थायी परिसर: ग्राम खंडेरी, तहसील- पडधरी, जिला राजकोट 360110
dda.aiimsrajkot@gmail.com

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

*****

अधीनस्थ कार्यालयों की 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट

भाग - I

अधीनस्थ कार्यालय का नाम व पता ....

राजभाषा अधिकारी की दूरभाष सं. .... ई-मेलः ....

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात की संख्या -

(क)	जारी कागजात की कुल संख्या	
(ख)	द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या	
(ग)	केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात	

(**नोट 1** - धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कुल 14 दस्तावेज़ हैं - 1. संकल्प 2. साधारण आदेश 3. नियम 4. अधिसूचना 5. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट 6. प्रेस विज्ञप्ति 7. संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन 8. संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजात 9. करार 10. संविदा 11. लाइसेंस 12. परमिट 13. सूचना 14. निविदा-प्ररूप। **नोट 2** - इन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने का दायित्व हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का है। **नोट 3** - ये सभी दस्तावेज आमतौर पर द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाते हैं, इसलिए '**केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात**' नामक मद के सामने कॉलम में '**शून्य**' के अलावा अन्य कोई भी संख्या दर्शाए जाने से धारा 3(3) का उल्लंघन होगा। अतः आंकड़ों को ध्यानपूर्वक भरा जाए।)

2. **हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5) -**

(क)	हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	
(ख)	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	
(ग)	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	
(घ)	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	

(**नोट 1** - यदि हिंदी में प्राप्त किसी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाता है, तो इससे नियम 5 का उल्लंघन होता है। इसलिए, उपर्युक्त **(ग)** के अंतर्गत '**इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए**' नामक मद के सामने कॉलम में '**शून्य**' के अलावा अन्य कोई भी संख्या दर्शाए जाने से नियम 5 का उल्लंघन होगा जिसके लिए हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगा। **नोट 2** - उपर्युक्त **(घ)** के अंतर्गत यदि '**इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे**' नामक मद के सामने दर्शाए जाने वाले **सभी पत्रों की पावती हिंदी में** दे दी जाए, तो इस संख्या को उपर्युक्त **(ख)** के अंतर्गत दिए जाने वाले आंकड़ों में जोड़ा जा सकता है तथा **(घ)** के समक्ष '**शून्य**' संख्या दर्शायी जा सकती है।)

3. **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**-

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिंदी पत्रोत्तरों की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
'क' क्षेत्र से					
'ख' क्षेत्र से					

(**नोट 1** - उपर्युक्त **कॉलम 4** के अंतर्गत यदि '**इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे**' नामक मद के नीचे दर्शाए जाने वाले **सभी पत्रों की पावती हिंदी में** दे दी जाए, तो इस संख्या को उपर्युक्त **कॉलम 2** के अंतर्गत दिए जाने वाले आंकड़ों में जोड़ा जा सकता है तथा **कॉलम 4** में '**शून्य**' संख्या दर्शायी जा सकती है। **नोट 2** - नियमानुसार '**क**' एवं '**ख**' **क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में** अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है।)

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	अंग्रेजी की तुलना में मूल रूप से हिंदी में भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां -

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	
कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	
अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या का प्रतिशत	

(पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

6. तिमाही के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशाला -

कार्यशाला की तारीख/खें	
प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	

7. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तारीख - ....

'क' क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य तथा दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ-राज्य क्षेत्र।
'ख' क्षेत्र - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली संघ-राज्य क्षेत्र।
'ग' क्षेत्र - शेष सभी राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है ।

कार्यालय प्रमुख के हिंदी में हस्ताक्षर ....

कार्यालय प्रमुख का नाम ....

पदनाम ....

दूरभाष सं. ....

ई-मेल पता ....

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।